UP RVUNL	**उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0** **(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)** **शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार** **14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001**

संख्याः 1686/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2012–43–मा0सं0(04)/2008–टी0सी0–20 दिनांक : 07 दिसम्बर 2012

मुख्य अभियन्ता (स्तर I/II),
उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज एवं पनकी,
सोनभद्र/झांसी/अलीगढ़/कानपुर ।

विषय : परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सा0 श्रे0) के पद पर चयनित कार्मिकों को ग्रेड पे रू0 5400/– के स्थान पर रू0 6600/– अनुमन्य कराये जाने सम्बन्धी स्पष्टीकरण।

महोदय

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के पत्र संख्या 598–काविनी एवं वे0 प्र0 – 29/पाकालि/12–17 काविनी/2008, दिनांक 31.07.2012 की अनुरूपता में मुझे यह कहने का निदेश है कि निगमीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 1513–मा0सं0–03/उनिलि/2012–5(8)/मा0सं0–03/2012 दिनांक 27.06.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 से आवरित पदधारकों का अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) पद पर चयन किए जाने की व्यवस्था है।

अस्तु परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 के कार्मिक जो चयन के माध्यम से अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर नियुक्त/कार्यरत हैं एवं उनके द्वारा निगम के आदेश संख्या 2577–मा0सं0 प्र0 – 02/उनिलि/2008–64–मा0सं0 प्र0–02/2001, दिनांक 27.10.2008 में निहित आदेशों के अन्तर्गत प्रथम सीधी भर्ती के पद (टी0जी0 – 2) के परिप्रेक्ष्य में पूर्व समयबद्ध योजना के अन्तर्गत दिनांक 27.02.2009 तक अनुमन्य होने वाले समयबद्ध वेतनमान को चुनने अथवा पूर्व से अनुमन्य तृतीय समयबद्ध वेतनमान रू0 8550–13500 में बने रहने का विकल्प दिया है, मात्र उन्हें ही निगम के कार्यालय ज्ञाप सख्या 1380–मा0सं0 – 04/उनिलि/2011–43–मा0सं0–04/2008 (टी0सी0 20) दिनांक 09.12.2011 सपठित शुद्धिपत्र संख्या 1465 मा0सं0 – 04/उनिलि/2011–43–मा0सं0–04/2008 (टी0सी0 20) दिनांक 14.12.2011 द्वारा अनुमन्य की गयी ग्रेड पे रू0 6600/– इस प्रतिबन्धाधीन देय होगी कि ऐसे कार्मिकों को उक्त सन्दर्भित निगमादेश संख्या 2577–मा0सं0–02/उनिलि/2008–64–मा0सं0–02/2001 दिनांक 27.10.2008 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अनुसार अवर अभियन्ता संवर्ग के परिप्रेक्ष्य में अनुमन्य होने वाले समयबद्ध वेतनमानों अथवा दिनांक 28.02.2009 से प्रभावी ए0सी0पी0 योजना से सम्बन्धित कोई लाभ देय नहीं होंगे।

कृपया संगत प्रकरणों में तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता–मा0सं0(4)

क्रमशः पेज 2 पर

संख्याः 1686/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक/वित्त/तकनीकी), उ0प्र0रा0 विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
3. महा प्रबन्धक/सलाहकार, कारपोरेट स्ट्रेटिजी/मा0सं0(02/03)/मा0 सं0/चिकित्सा/वित्त/ वित्त एवं लेखा/पी0 पी0 एम0 एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
4. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
5. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
6. उप महा प्रबन्धक (मा0 सं0 – 02), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
7. मुख्य प्रबन्धक(वि0 एवं ले0)/लेखा अधिकारी(वि0 एवं ले0), उ0प्र0रा0वि0उ0निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप मुख्य लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज एवं पनकी
9. कट फाइल

आज्ञा से,

7/12/12

(सुनील कुमार)

अधीक्षण अभियन्ता–मा0सं0(4)